



सांस्कृतिक स्रोत व प्रशिक्षण केंद्र  
प्लॉट नंबर 15A, सेक्टर - 7, द्वारका, नई दिल्ली - 110075

**आरटीआई आवेदन पत्र (हिंदी)**

आवेदक आई.डी. संख्या \_\_\_\_\_  
दिनांक: \_\_\_\_\_

सेवा में,  
जन सूचना अधिकारी,  
सांस्कृतिक स्रोत व प्रशिक्षण केंद्र  
प्लॉट नंबर 15A, सेक्टर - 7, द्वारका, नई दिल्ली - 110075

**विषय: आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना हेतु अनुरोध**

श्रीमान,

में \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री/पत्नी \_\_\_\_\_, निवासी \_\_\_\_\_ दूरभाष संख्या (एसटीडी के साथ)/ मोबाइल संख्या \_\_\_\_\_ आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सांस्कृतिक स्रोत व प्रशिक्षण केंद्र से जानकारी लेने का इच्छुक हूँ। इसके द्वारा, मैं घोषणा करता हूँ कि मैं भारत का नागरिक हूँ और इस आवेदन में मांगी गई जानकारी का उपयोग श्रेष्ठ सार्वजनिक हित में ही किया जाएगा। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि, मैं प्राप्त जानकारी का उपयोग/ प्रसारण/ शेयर/ प्रदर्शन का उपयोग किसी भी मामले में अथवा किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी परिस्थिति में करने की अनुमति नहीं दूंगा जोकि भारत की एकता/ संप्रभुता या भारत के हित के विपरीत है।

1. आवश्यक जानकारी दस्तावेज़ / स्पष्टीकरण के रूप में है। (जो भी लागू हो कृपया चिन्हित करें)
2. सूचना सीसीआरटी नई दिल्ली मुख्यालय/ सीसीआरटी क्षेत्रीय केंद्र हैदराबाद/ उदयपुर/ गुवाहाटी से संबंधित है। (जो भी लागू हो कृपया चिन्हित करें)
3. आवश्यक सूचना की अवधि- \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ तक है।
4. मांगी गई जानकारी स्वयं/ तृतीय पक्ष से संबंधित है। (जो भी लागू हो कृपया चिन्हित करें)

5. माँगी गयी सूचना/ दस्तावेज का विवरण नीचे दिया गया है:-

---

---

---

---

6. मैंने आवश्यक आरटीआई शुल्क रुपये 10/- (रुपये केवल दस) की आवेदन शुल्क राशि नकद (रसीद संलग्न) / डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर चेक / भारतीय पोस्टल ऑर्डर (जो भी लागू नहीं हो कृपया काट दें) 'सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, नई दिल्ली' के पक्ष में देय \_\_\_\_\_ (वह स्थान जहां आवेदन जमा किया जाता है) माध्यम से जमा करा दी है। इसके अतिरिक्त, मैं आरटीआई अधिनियम के तहत निर्धारित किसी भी अतिरिक्त शुल्क (यदि लागू हो) का भुगतान करने का वचन देता हूँ।

कृपया, आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा के भीतर और जितनी जल्दी हो सके जानकारी प्रदान करें।

(आवेदक का नाम और हस्ताक्षर)

पता:- \_\_\_\_\_

दूरभाष (कार्यालय):- \_\_\_\_\_

(निवास):- \_\_\_\_\_

ई-मेल, यदि हो तो \_\_\_\_\_

**पुनश्च/पोस्ट स्क्रिप्ट:** 1. सीसीआरटी आवेदक द्वारा दिए गए पते पर सूचना भेजेगा। अधूरे/गलत पते के कारण पत्र की वापसी की जिम्मेदारी सीसीआरटी की नहीं होगी.  
2. प्रत्येक प्रश्न के लिए अलग फॉर्म भरना होगा।